

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 3/पी0एम0सी0/SDSO- 535/2022.....619

/राँची, दिनांक-.....26.08.2022

अधिसूचना

1. बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (The Dam Safety Act, 2021), केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 14.12.2021 को अधिसूचित किया गया है तथा इस अधिनियम के अधीन प्रावधान दिनांक 28.12.2021 की अधिसूचना के तहत दिनांक 30.12.2021 से प्रवृत्त है।

बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के सुसंगत धारा (यथा-धारा-14) के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति के अधीन State Dam Safety Organisation (SDSO) के गठन का प्रावधान है। इस आलोक में, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक-N-52011/2/2021-BM/Pen Riv-Part(1), दिनांक-10.05.2022 द्वारा प्रदत्त निदेशानुसार नये सिरे से (afresh) SDSO का पुनर्गठन कर अधिसूचित करना आवश्यक है।

2. उल्लेखित अधिनियम के अधीन बांधों की विफलता (Dam Failures) से उद्भूत आपदाओं की रोक-थाम के निमित्त विनिर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन व रख-रखाव एवं उनके सुरक्षित संचालन तथा सम्बद्ध कार्यों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संस्थागत तंत्र (institutional mechanism) प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
3. संदर्भित अधिनियम के धारा-14(1) के परंतुक के अनुसार, राज्य में 30 (तीस) से अधिक विनिर्दिष्ट बांध रहने पर उक्त State Dam Safety Organisation (SDSO) का गठन मुख्य अभियंता स्तर से अन्यून पदाधिकारी की अध्यक्षता में किया जाना है, जिसके संरचनात्मक स्वरूप तथा कार्य प्रणाली/प्रक्रिया आदि का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।
4. जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के नियंत्रणाधीन कुल निर्मित बांधों की संख्या 55 (पचपन) है। तदालोक में, मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची के नियंत्रणाधीन नए सिरे से (afresh) राज्य बाँध सुरक्षा संगठन (SDSO) के गठन का प्रस्ताव है, जिसमें परिक्षेत्राधीन पदाधिकारी/कर्मि, परिशिष्ट-I (Annexure-I) पर संलग्न प्रस्ताव के अनुरूप कार्यरत होंगे।
5. SDSO अपने दायित्वों का निर्वहन करने के क्रम में मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची प्रक्षेत्राधीन कार्यरत कनीय अभियंताओं, कर्मचारीगण, कंप्यूटर ऑपरेटर्स इत्यादि की सहायता प्राप्त कर सकेंगे।
6. राज्य बाँध सुरक्षा संगठन (SDSO) द्वारा बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के Chapter-VI (Section-16-29 as applicable) में Duties And Functions In Relation To Dam Safety से संबंधित सभी प्रावधान, जैसा लागू हो, के अंतर्गत कार्य किए जाएँगे। राज्य बाँध सुरक्षा संगठन (SDSO) द्वारा बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 में विनिर्दिष्ट दायित्वों एवं कार्य प्रणाली के तहत मुख्यतः निम्नांकित कार्य किए जाएँगे -

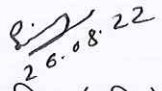
- (i) विनिर्दिष्ट बांधों का सतत निगरानी एवं निरीक्षण (Surveillance and inspection) के साथ साथ बांधों का परिचालन एवं रख-रखाव का प्रबोधन।
- (ii) प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांधों के लिए लॉग बुक/डेटाबेस का संधारण।
- (iii) प्रत्येक निर्दिष्ट बांधों की सुभेद्यता और जोखिमों का वर्गीकरण (Vulnerability and Hazard classification) करना।
- (iv) प्रत्येक निर्दिष्ट बांधों की प्रमुख घटनाओं/विफलता का रिकॉर्ड (Record of dam failure and dam incident) बनाए रखना।
- (v) प्रत्येक निर्दिष्ट बांधों के सुरक्षा या इसके संबंध में आवश्यक उपचारात्मक उपायों (Remedial measures) पर अपना निर्देश देना; एवं
- (vi) बांधों के सुरक्षा के मद्देनजर, आवश्यक समस्त प्रस्ताव तैयार करने के साथ-साथ बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (The Dam Safety Act, 2021) में निहित सुसंगत प्रावधानों के अधीन निर्दिष्ट कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

नोट— राज्य बाँध सुरक्षा संगठन (SDSO) द्वारा बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 में विनिर्दिष्ट दायित्वों एवं कार्य प्रणाली के तहत वे सभी दायित्व एवं कार्य प्रणाली भी आते हैं, जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत Prescribed/Specified Regulations/Rules made by State Government under Section-53 of the Dam Safety Act, 2021, द्वारा निर्देशित हैं।

7. राज्यान्तर्गत विनिर्दिष्ट बांधों के सुरक्षा के मद्देनजर राज्य बाँध सुरक्षा संगठन (SDSO) एवं बांध के स्वामी (Dam Owners) द्वारा बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के सुसंगत विभिन्न अध्यायों (Chapters) में निर्दिष्ट दायित्वों, कार्य प्रक्रियाओं का निर्वहन करने के साथ-साथ बांधों की सुरक्षा, निरीक्षण एवं आंकड़ें एकत्रित (Safety, Inspection and data collection) करना, आपातकालीन कार्य योजना (Emergency Action Plan) और आपदा प्रबंधन (Disaster Management) से संबंधित कार्यों का निष्पादन करना तथा विस्तृत बांध सुरक्षा मूल्यांकन (Comprehensive Dam safety Evaluation) से संबंधित कार्यों को सम्पादित करना, बांधों की सुरक्षा स्थिति तथा सुरक्षा प्रक्रिया संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर इसे राज्य सरकार के समक्ष उपस्थापित करने के साथ-साथ समय-समय पर प्राप्त अन्य निदेशों एवं विविध दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कार्य सम्मिलित होगा।
8. The Dam Safety Act, 2021 के अध्याय- 10 के सुसंगत कण्डिका के आलोक में संसूचित अपराध और सजा (Offences and Penalties) तदनुसार प्रभावी होगा।
9. राज्य बाँध सुरक्षा संगठन (SDSO) के द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु विभागान्तर्गत गठित बाँध सुरक्षा समीक्षा दल (Dam Safety Review Panel) के सदस्यों/विशेषज्ञों का सहयोग लिया जा सकेगा। साथ ही, इस क्रम में अन्य अपेक्षित सेवाओं के निमित्त भविष्य में आवश्यकतानुसार संविदा आधारित सेवाएँ प्राप्त की जा सकेंगी, जिसके लिए अलग से सक्षम स्तर से विधिवत् स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी।

10. राज्य बांध सुरक्षा संगठन (SDSO), अभियंता प्रमुख-1, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा तथा उन्हें सतत प्रतिवेदित करेगा।
11. उक्त गठित State Dam Safety Organisation (SDSO) अंतर्गत विभागीय पदाधिकारियों के पद सोपान के विरुद्ध पदस्थापित पदांकित विभागीय पदाधिकारीगण पदेन प्रतिनियुक्त होंगे।
12. केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (The Dam Safety Act, 2021) के तहत झारखण्ड राज्य में नए सिरे से (afresh) राज्य बाँध सुरक्षा संगठन [State Dam Safety Organisation (SDSO)] के गठन के प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक- 24.08.2022 की बैठक में मद संख्या- 31 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।
13. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

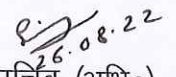

26.08.22
संयुक्त सचिव (अभि०)

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

ज्ञापांक :- 3/पी0एम0सी0/SDSO- 535/2022 619 /राँची, दिनांक- 26.08.2022

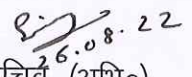
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 25 (पच्चीस) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।


26.08.22
संयुक्त सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

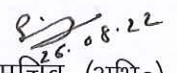
ज्ञापांक :- 3/पी0एम0सी0/SDSO- 535/2022 619 /राँची, दिनांक- 26.08.2022

प्रतिलिपि:- प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


26.08.22
संयुक्त सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

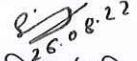
ज्ञापांक :- 3/पी0एम0सी0/SDSO- 535/2022 619 /राँची, दिनांक- 26.08.2022

प्रतिलिपि:- राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/विभागीय (मुख्य) मंत्री जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के आप्त सचिव/मुख्य सचिव कार्यालय के उपसचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सरकार के सभी सचिव, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


26.08.22
संयुक्त सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

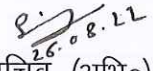
ज्ञापांक :- 3/पी0एम0सी0/SDSO- 535/2022 619 /राँची, दिनांक- 26.08.2022

प्रतिलिपि:- सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली- 110001 (E-mail:- secy-mowr@nic.in)/ संयुक्त सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली- 110001 (E-mail:- jsrd-dowr@gov.in)/ मुख्य अभियंता, निचली गंगा बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, अमरनाथ रोड, अदालतगंज, पटना- 01 (E-mail:- celgbo-cwc@nic.in) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

ज्ञापांक :- 3/पी0एम0सी0/SDSO- 535/2022 619 /राँची, दिनांक- 26.08.2022

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची/ अधीक्षण अभियंता, बांध एवं गेट रूपांकण अंचल-1, राँची, अधीक्षण अभियंता, समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल-1, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

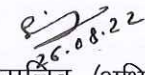
ज्ञापांक :- 3/पी0एम0सी0/SDSO- 535/2022 619 /राँची, दिनांक- 26.08.2022

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख- I एवं II/सभी विभागीय मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता/ कार्यपालक अभियंता (लघु सिंचाई/यांत्रिक सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

ज्ञापांक :- 3/पी0एम0सी0/SDSO- 535/2022 619 /राँची, दिनांक- 26.08.2022

प्रतिलिपि:- वेब इन्फोर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को वेब पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

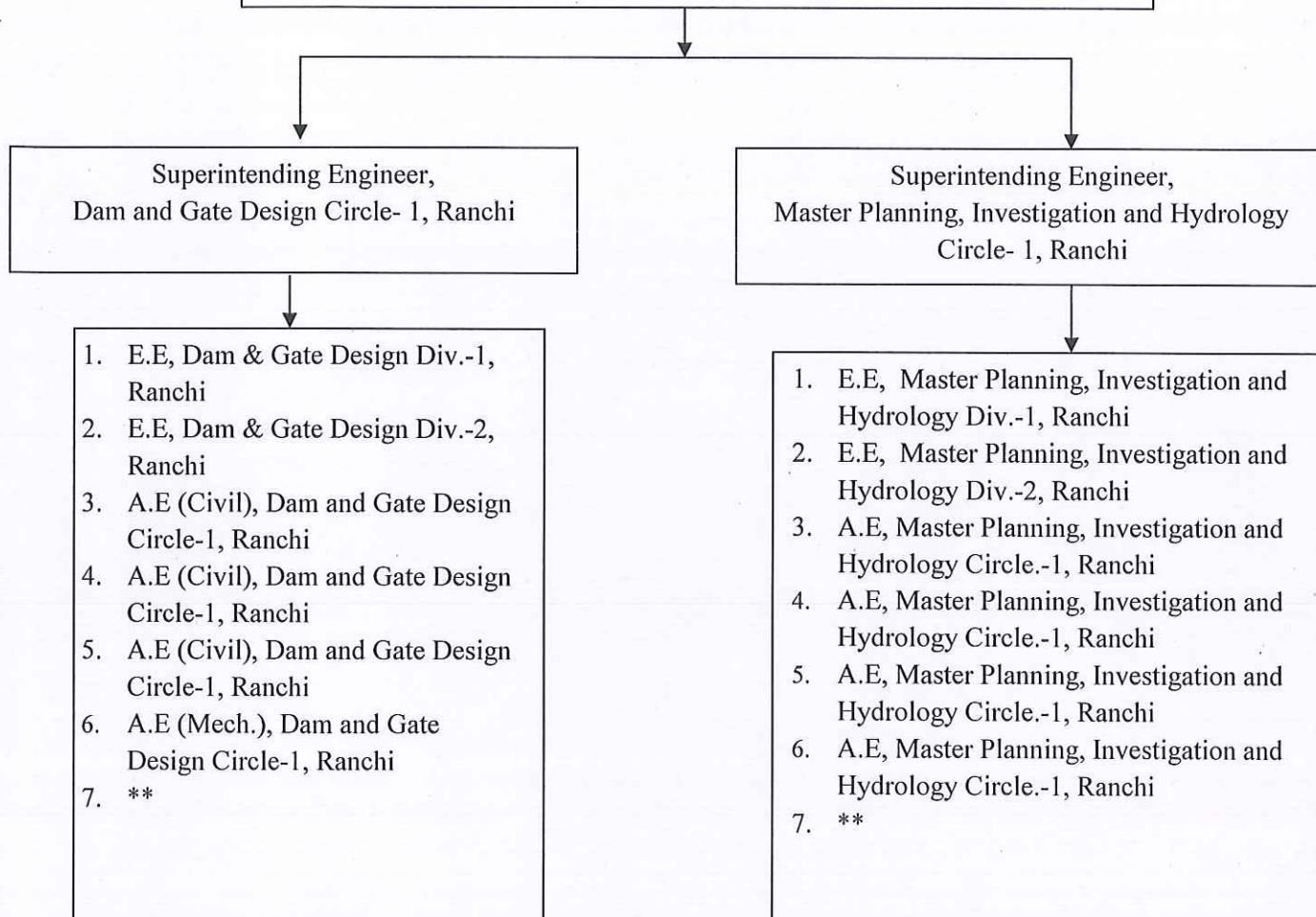

संयुक्त सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

STATE DAM SAFETY ORGANISATION (SDSO)

(Established as per section-14(1) of the Dam Safety Act,2021)

HEAD

**(Chief Engineer, Design, Master Planning and Hydrology,
Water Resources Department, Ranchi)**



**** SDSO in order to discharge their responsibilities will be able to get the help of Junior Engineers, employees, computer operators, etc. working under the office of Chief Engineer, Design, Master Planning and Hydrology, Ranchi field.**